न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 122/2025(GCMS 2025/483)

(RTI No. 212064995097164)

श्री कनीराम पुत्र श्री सहीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 22 एलजीडब्ल्यूसी, ढाणी पो.ओ. ढाबां झालार, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी **(अतिरिक्त जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर)**, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.01.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कानीराम की ओर से उनके अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित हुए। अप्रार्थी, प्रभारी अधिकारी (स्थापना) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से जवाब प्राप्त होकर शामिल मिसल है। अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी और उनके पुत्रों की 22 एलजीडब्ल्यूजी में खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें अपीलांट एवं उसके पुत्र ढाणियां बनाकर निवास करते है। उनका उक्त चक के पं.नं. 44/295 के किला नं 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 प्रत्येक की 272 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दशकों वर्षों पुराना चला आ रहा है। जिसे रामकुमार पुत्र काशीराम के द्वारा जबरन बन्द कर दिया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजकुमार, प्रभावशाली एवं राजनैतिक पहुंच रखने वाला व्यक्ति होने के कारण उसने पटवार हल्का, गिरदावर सर्किल व तहसीलदार के साथ मिलकर स्वीकृत शुद्धा रास्ता की 50 वर्षों से बन्द होने की रिपोर्ट करवा ली, जबकि नरेगा के तहत सन् 2020–21, 2022–23, व सन् 2024 में उक्त स्वीकृतशुद्धा रास्ता को शुद्धिकरण का कार्य किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि कार्मिकों व अधिकारियों के द्वारा गलत व झूठी रिपोर्ट किये जाने तथा उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पदों व अधिकारों का दुरूपयोग किये जाने के कारण, इनके विरूद्ध शिकायत विभिन्न अधिकारियों को प्रेषित की गई है तथा **मूल शिकायत श्रीमान्जी के समक्ष विचाराधीन है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:14:37 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 की गलत व्याख्या करते हुए, उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम का जवाब दिया गया है और सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि अपीलार्थी स्वयं द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में की गई जांच रिपोर्ट और की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई है जो लोक सूचना के अधिकार क्षेत्र में आती है और जिसका अपीलांट विधिक रूप से अधिकारी भी है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाकर,उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे उपलब्ध करवाने और धाा 20 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार कार्यावही किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रभारी अधिकारी (स्थापना) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक एफ1(23)( )स्था./2025/8546 दिनांक 31.12.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक एफ1(23)( )स्था/2025/7792–7793 दिनांक 04.11.2025 द्वारा चाही गई सूचना भिजवाई जा चुकी है और लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चाही गई की सूचना	प्रति उत्तर
1	प्रार्थी के द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पेश गया था जिसमें उक्त प्रसंग में अंकित क्रमांक व दिनांक के द्वारा मूल ही मंडल के पत्रांक 3869 दिनांक 25.11.2024 व स्मरण पत्र दिनांक 09.12.2024 दिनांक 03.02.2025 व 03.04.2025 द्वारा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित कर शिकायत के संबंध में अंकित तथ्यों के संबं[illegible] में अपने स्तर पर प्राथमिक [illegible] की जाकर दोषी [illegible] पर सीसीए नियमों में कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर मय संबंधित अभिलेख मंडल को भिजवाते हुए प्रार्थी को भी अवगत करवाने हेतु	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(J) के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10. 2012 श्री गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं मिमों की प्रतियां, जांच आदि [illegible] एवं आदेश [illegible] श्रेणी में आते [illegible] एवं [illegible]चारी/अधिकारी के [illegible] का मामला है। ये सूचनाऐं तभी सार्वजनिक हो जब व्यापक जनहित में आवश्यक हो। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

	लिखा हुआ है। उक्त शिकायत में की गई कार्यवाही और उस पर प्राप्त रिपोर्ट एवं माननीय राजस्व मंडल को भिजवाई गई सूचना की प्रमाणित प्रतियां देने हेतु निवेदन किया है।	आप द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कोई व्यापक जनहित नहीं है, इसलिए वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।
2	मद संख्या 01 में अंकित सूचना के संबंध में श्रीमानजी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील किस अधिकारी/प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है, उसका नाम पद व पूर्ण पता की लिखित में जानकारी प्राप्त करना चाहता है।	इस क्रम में वर्तमान में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(h) में निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> **8. Exemption from disclosure of information** :- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen :
>
> (h) Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(h) के तहत विचाराधीन जांच (pending inquiry) से संबंधित जानकारी देय नहीं है क्योंकि जांच गोपनीय या संवेदनशीनशील मामलों से जुड़ी होती है, जो जांच की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। **इसलिए लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई शिकायत से सम्बन्धित जांच पूर्ण हो गई तो उसे निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जांच वर्तमान में विचाराधीन हो तो, निर्णय प्राप्ति के 07 दिवस में यथासम्भव जांच पूर्ण कर, शिकायतकर्त्ता को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी [illegible] सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद [illegible] हो।

यह आदेश आज दिना[illegible] [illegible]रा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.01.20 12:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर